डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/1445/2026 दिनांक : 15/05/2026

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत संस्थान के INO एवं HOD के मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई०डी० ऑनलाइन फीड/वेरीफाई किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया प्रभारी उप निदेशक, समाज कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा के पत्रांक 34/स0क0/छात्रवृत्ति/2026–27 दिनांक 14.05.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कतिपय शिक्षण संस्थाओं के INO (Institution Nodal Officer) एवं HOD (Head of Institution) के मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई०डी० छात्रवृत्ति पोर्टल पर मास्टर डाटा में फीड न होने के कारण छात्र/छात्राओं का डाटा भारत सरकार को 60 प्रतिशत केन्द्रांश धनराशि भुगतान हेतु साझा किये जाने के समय अस्वीकृत/फेल हो गया था। उक्त के क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा समस्त शिक्षण संस्थानों के लॉगिन पर INO एवं HOD के मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई०डी० भरने/वेरीफाई करने हेतु विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय के छात्रवृत्ति पोर्टल लॉगिन का उपयोग करते हुए INO एवं HOD के मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई०डी० का विवरण अनिवार्य रूप से तत्काल फीड करते हुए उसे वेरीफाई करना सुनिश्चित करें। यह कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 15.05.2026 को सायं 05:00 बजे तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य है, जिससे छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति धनराशि का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

उक्त निर्देशों का अनुपालन अत्यन्त प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी उप निदेशक, समाज कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा को सूचनार्थ।
2. छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी, कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Affisvlett

शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

प्रभारी उप निदेशक
समाज कल्याण
आगरा मण्डल, आगरा

सेवा में

कुलसचिव,
डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

पत्रांकः– 34/स0क0/छात्रवृत्ति/2026–27 दिनांक 14.05.2026

विषयः–वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जाति शमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सम्बद्ध महाविद्यालयों के INO एवं HOI का मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई०डी० ऑनलाइन भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्रांक सी 203/स०क०/शिक्षा/ 2026–27 दिनांक 14.05.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कतिपय शिक्षण संस्थाओं के INO (Institution Nodal Officer) व HOI (Head of Institution) के मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई०डी० मास्टर डाटा के अन्तर्गत प्रोफाइल में फीड न होने के कारण छात्र/छात्राओं का डाटा भारत सरकार को 60 प्रतिशत केन्द्रांश धनराशि भुगतान हेतु साझा करते समय फेल हो गया था । इस सम्बन्ध में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में, अब समस्त शिक्षण संस्थानों के लॉगिन पर INO / HOI के मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई०डी० भरने हेतु विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विश्वविद्यालय के अधीन समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को तत्काल अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन का उपयोग कर अपने प्रोफाइल में वांछित विवरण (मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई०डी०) अनिवार्य रूप से भरते हुये उसे वेरीफाई करना सुनिश्चित करें। यह कार्य आज दिनांक 15.05.2026 को शाम 5.00 बजे तक प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है, ताकि छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति धनराशि का भुगतान ससमय सुनिश्चित हो सके।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय

(नगेन्द्र पाल सिंह)
प्रभारी उप निदेशक
समाज कल्याण
आगरा मण्डल, आगरा।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2–छात्रवृत्ति नोडल, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी उप निदेशक
समाज कल्याण
आगरा मण्डल, आगरा।